न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारीः– कृष्णपाल सिंह चौहान(आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 2/2019 दायर दिनांक 28.08.2019

निर्णय दिनांक 26.2.2021

सुरेश उर्फ जसवंत पिता छगनलाल पण्ड्या ब्राम्हण, निवासी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल निवास अमेरिका जरिए अधिकार पत्रधारी सनद कुमार पिता जगन्नाथ जी पण्ड्या जाति ब्राम्हण निवासी धम्बोला त. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर – निगरानीकर्ता /प्रार्थी

बनाम

1 सुखलाल पिता छगनलाल पण्ड्या, जाति ब्राम्हण, निवासी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
2 ग्राम पंचायत सीमलवाडा जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत सीमलवाडा

– रेस्पोडेंट/विपक्षी

निगरानी बनाराजगी

निगरानी अर्न्तगत नियम 272 राज. पंचायत जनरल रूल्स 1961

ग्राम पंचायत सीमलवाडा पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 बाबत्

अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से श्री नरेश जोशी एडवोकेट
अधिवक्ता विपक्षी सं. एक–श्री धर्मेन्द्र गेहलोत,श्री लक्ष्मणसिंह सिसोदिया एडवोकेट

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेश उर्फ जसवंत द्वारा अपने अधिकार पत्र धारी के माध्यम से यह निगरानी इस न्यायालय मे पेश की जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर सुरेश उर्फ जसवंत तथा विपक्षी सुखलाल आपस मे भाई है तथा उनके पिता द्वारा क्रय सम्पत्ति मौजा सीमलवाडा मे स्थित है। जो पूर्व से पश्चिम 90 फीट तथा उत्तर से दक्षिण 47 फीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4230 वर्ग फीट है। उपरोक्त सम्पत्ति के पूर्व दिशा मे पीठ डूंगरपुर मार्ग, पश्चिम दिशा मे मोहल्ले का रास्ता, उत्तर मे शैलेष शाह का मकान होना तथा दक्षिण मे 9 फीट की गली होना अंकित किया है। निगरानीकर्ता द्वारा अंकित किया गया कि उपरोक्त सम्पत्ति निगरानीकर्ता व विपक्षी के पिता छगनलालजी द्वारा ठीकाना सीमलवाडा से क्रय की गई थी। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि निगरानीकर्ता के विदेश मे निवास के दौरान विपक्षी सुखलाल व अन्य भाई नवनीतलाल द्वारा दिनांक 11.9.2000 को इस भूमि पर निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त की थी। विपक्षी सुखलाल यह जानता था कि उपरोक्त भूमि, निगरानीकर्ता व विपक्षी के पिता की क्रय शुदा भूमि है तथा विपक्षी सुखलाल तथा निगरानीकर्ता व अन्य भाई नवनीतलाल जिसकी मृत्यु हो चुकी है, सभी इस संपति के मालिक है। लेकिन विपक्षी सुखलाल द्वारा छिपे तौर पर ग्राम पंचायत सीमलवाडा से पट्टा सं. 280 मिसल नम्बर 11 तारीख दायर 13/6/2005 संकल्प दिनांक 20/7/2005 पट्टा जारी करने की दिनांक 21/7/2005 के जरिए नियम 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत पट्टा जारी करवा लिया है जो नियम विरूद्ध है तथा उक्त पट्टे की जानकारी दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

1/8/2019 को निगरानीकर्ता को हुई। क्योंकि सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष जो विपक्षी सुखलाल द्वारा वाद पेश किया था, उसमे उसके द्वारा उपरोक्त दिनांक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टे के दस्तावेज पेश किए। जिस पर जानकारी के पश्चात् न्यायालय से नकले प्राप्त की जाकर नियत समयावधि मे यह अपील प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मे पट्टा निरस्त करने के आधार का भी वर्णन किया। जिसमे वर्णित किया कि यह भूमि ग्राम पंचायत से निलामी मे क्रय शुदा भूमि नही है। पट्टे मे भूमि का कोई मूल्य वर्णित नही है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है तथा उस भूमि का पट्टा जारी किया गया है जिसकी मालिक ग्राम पंचायत नही थी। साथ ही अन्य तथ्यों का अपनी निगरानी मे वर्णन किया गया।

निगरानीकर्ता की निगरानी को दर्ज किया जाकर विपक्षी सुखलाल को तलब किया गया।

विपक्षी सुखलाल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि विपक्षी द्वारा सिविल वाद दिनांक 23/4/2014 को सिविल जज साहब सीमलवाडा मे प्रस्तुत किया गया तथा सिविल वाद के साथ पट्टे की प्रति भी पेश की गई थी तथा निगरानीकर्ता को उसकी जानकारी दिनांक 22.5.2014 को हो गई थी। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे की जानकारी वर्ष 2014 मे होने के बावजुद कोई अपील प्रस्तुत नही की, अपील म्याद बाहर है तथा विपक्षी की ओर से निगरानी मे अंकित सम्पति को पिता द्वारा क्रय किया जाना स्वीकार किया गया। पट्टा विधिक प्रकिया के तहत प्राप्त किया जाना उल्लेखित करते हुए कथन किया कि सम्पूर्ण भूमि पर विपक्षी का ही कब्जा है। पट्टा सं. 37 के तथ्य मिथ्या अंकित किए गए है। ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है तथा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा निरस्त योग्य नही है। एवम् अन्य तथ्यों का अंकन किया गया।

न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब किए जाने पर विकास अधिकारी सीमलवाडा के माध्यम से इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई जिसमे ग्राम पंचायत रिपोर्ट, पट्टा व रजिस्ट्रेशन की प्रति पेश कर उल्लेखित किया कि प्रार्थी(जो इस प्रकरण मे विपक्षी सुखलाल है) के नाम से मूल पत्रावलीयॉ नहीं मिली है।
दौराने विचारण दिनांक 8/1/2021 को निगरानीकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे विपक्षी की ओर से स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सरपंच को तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से संशोधित अनवान को प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर लिया गया। सरपंच द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् विपक्षी सुखलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.9.2020 को उल्लेखित किया कि उनके जवाब को ही बहस मानी जाए तथा निगरानी कर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया लेकिन उसके पश्चात् महामारी कोविड–19 व ग्राम पंचायत से पट्टा पत्रावली तलब करने मे चलने से अग्रिम कार्यवाही नही हो पाई। उसके पश्चात् दिनांक 22.2.2021 को बहस समाप्त की गई। प्रार्थी /निगरानीकर्ता के अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:30:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की तथा दस्तावेजात पेश किए जिसकी नकल विपक्षी अधिवक्ता को दी गई। निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से न्याय निर्णय प्रस्तुत किए गए। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस करते हुए, निगरानीकर्ता के बहस के आधारों को नकारा जाकर कहा गया कि निगरानीकर्ता की निगरानी म्याद मे प्रस्तुत नही की है जिस कारण खारीज योग्य है।

हमारे द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व विपक्षी की बहस को सुना, प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतों का घ्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत किए जाते समय माननीय सिविल न्यायालय सीमलवाडा मे विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद की नकल, विपक्षी द्वारा दिनांक 1.8.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिसमें उसके द्वारा पट्टे के दस्तावेज पेश करने बाबत् न्यायालय से स्वीकृति चाही, की नकल तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब, विपक्षी के पक्ष मे संपादित विक्रय विलेख व पंजीकरण किया हुआ विक्रय विलेख, ठिकाना खास का परवाना जिसमे निगरानीकर्ता के पिता द्वारा भूमि कय किया जाने का उल्लेख है, ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति का प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की है तथा अधिकार पत्र की फोटो प्रति पेश की है। विपक्षी की ओर से अपने जबाब के साथ सिविल जज साहब सीमलवाडा के आर्डर शीट दिनांक 1.8.2019, 16.8.2019, 6.9.2019 व सनद कुमार के बयान की फोटो प्रति पेश की है। उसके बाद निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस के साथ दस्तावेज माननीय सिविल जज, सीमलवाडा मे विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत वाद की नकल, विपक्षी सुखलाल के बयान की नकल, विपक्षी सुखलाल का दिनांक 1.8.2019 का प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत सीमलवाडा के मिसल दिनांक 13.9.2000 की नकल, विपक्षी सुखलाल से सीमलवाडा कोर्ट मे की गई जिरह जो निगरानीकर्ता की ओर से की गई, की नकल, सिविल न्यायालय मे विपक्षी सुखलाल की ओर से किए गए वाद को विड्रो करने की नकल, विपक्षी सुखलाल का पट्टा, विपक्षी सुखलाल का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज हुआ की नकल, बंटवारानामा, व अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई है।

प्रकरण मे दो विचारणीय बिन्दु यह है कि--

(1) क्या प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी समयावधि मे है।

(2) क्या निगरानीकर्ता अपनी निगरानी मे अंकित पट्टा जिसको लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमे विधि, तथ्य, प्रकियात्मक त्रुटि या गलती हुई है, जिससे खारीज योग्य है।

हमारे द्वारा प्रथम बिन्दु पर कि निगरानीकर्ता की निगरानी समयावधि मे है, पर सर्वप्रथम विचार किया जाना उचित समझा। इस संबध मे विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जैसा कि कथन किया गया कि निगरानीकर्ता को पट्टे की जानकारी विपक्षी सुखलाल की ओर से सिविल जज साहब सीमलवाडा मे प्रस्तुत वाद दिनांक 23.4.2014 के बाद जब निगरानीकर्ता द्वारा सिविल जज साहब सीमलवाडा मे अपना जबाब दिनांक 22.5.2014 को प्रस्तुत किया, से हो गई थी। यद्धपि इस प्रकरण मे सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष रेकार्ड पर नही, जिसे विपक्षी की ओर से पेश किया जाना चाहिए था, हमारे द्वारा इस संबध मे विपक्षी सुखलाल की ओर से सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष दिनांक 1.08.2019 को प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:30:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 14 जा.दी.का अवलोकन किया जिसमे उसके द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि भूमि विक्रय विलेख वादी को वृद्ध होने से नही मिले थे ऐसे मे दस्तावेज को पत्रावली मे लिया जाकर प्रदर्शित किए जाने का आदेश प्रदान करे जिसका जबाब निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 16.8.2019 को दिया गया। उपरोक्त दस्तावेज वादी (जो इस प्रकरण मे विपक्षी सुखलाल है)की जानकारी मे प्रारंभ से रहे होंगें लेकिन वह जानता था की दस्तावेज गलत रूप से बनाए है, दुकाने जिस भूमि पर बनी है वह पिता की कय शुदा भूमि पर बनी है ईत्यादि जिसके आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त पट्टा संबंधित दस्तावेज जिसे निरस्त करने के लिए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है प्रथम बार दिनांक 1.8.2019 को निगरानी कर्ता की जानकारी मे आए थे। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी की ओर से सिविल जज साहब सीमलवाडा के न्यायालय मे जो वाद वर्ष 2014 मे पेश किया गया था तथा अपनी साक्ष्य का शपथ–पत्र दिनांक 4.04.2019 को पेश किया गया था उसमे कहीं भी उपरोक्त पट्टा सं0 280 दिनांक 21.7.2005 का कोई हवाला नही है। जिसके आधार पर मैं विपक्षी अधिवक्ता की इस बात से सहमत नही हूं कि निगरानीकर्ता को निगरानी की जानकारी दिनांक 1.8.2019 से पूर्व हो गई हो इस संबध मे परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 17 मे कपट या भूल के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कथन किया गया है कि परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरम्भ नही होगा जब वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए। इसके साथ ही निगरानीकर्ता की ओर से इसं संबध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2010(1)आर.आर.टी. पेज 167 से 170 माननीय राजस्व मण्डल तथा न्यायिक दृष्टांत 2010(1)आर.आर.टी.पेज 216 से 220 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे मियाद को जानकारी दिनांक से प्रारंभ होना माना तथा यह उद्धरण इस प्रकरण मे पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। क्योंकि जिस पक्षकार को जानकारी ही नही है वह बिना जानकारी के कानूनी कार्यवाही कैसे अमल मे लाएगा। ऐसी परिस्थिति मे विपक्षी की ओर से किए गए कथन कि निगरानीकर्ता की निगरानी म्याद मे नही है, को खारीज करता हूँ तथा निगरानी कर्ता की निगरानी को म्याद मे मानता हूँ। क्योंकि निगरानीकर्ता की जानकारी मे पट्टे का तथ्य दिनांक 1.08.2019 को आने पर उनके द्वारा नियत समयावधि मे निगरानी पेश कर दी गई है।

दूसरा विचारणीय बिन्दु कि, क्या निगरानीकर्ता अपनी निगरानी मे अंकित पट्टा जिसको लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमे विधि, तथ्य, प्रकियात्मक त्रुटि या गलती हुई है? जिस कारण खारीज योग्य है।

इस संबध मे हमारे द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात तथा उल्लेखित विधि का अध्ययन किया। जैसा कि पंचायत नियम 1961 की धारा 266 मे उल्लेखित है तथा इस संबध मे निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2002)1) पेज 63 से लगाकर 69 मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है कि उपरोक्त नियमों के अर्न्तगत आवंटन को निलामी के जरिए किया जाएगा तथा अपवादिक परिस्थतियों मे ही निजी बातचीत के जरिए विक्रय की जाएगी। लेकिन इस प्रकरण मे ऐसा कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है कि निलामी का प्रयास किया गया हो। क्योंकि सर्वप्रथम तो यह भूमि ग्राम पंचायत की थी ही नही। इसलिए उसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:30:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

निलामी का अधिकार ही नही था और ना ही प्रकरण से भूमि के निलामी का कोई तथ्य प्रकट हो रहा है क्योकि इस संबध मे विपक्षी सुखलाल के सिविल जजसाहब सीमलवाडा के समक्ष जो जिरह दिनांक 16.08.2019 में हुई है उसमे उसके द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि "प्रदर्श 21 (जिस पट्टे को निरस्त करने यह निगरानी प्रस्तुत हुई है वह दस्तावेज है)मे वर्णित सम्पत्ति को मेरे पिता जी ने ठिकाना सीमलवाडा से खरीदी थी" यानि यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 को विपक्षी सुखलाल के पक्ष मे जारी किया है, वह भूमि ग्राम पंचायत की भूमि नही थी। ऐसी परिस्थिति मे नियमों के अर्न्तगत ग्राम पंचायत सीमलवाडा को कोई अधिकार नही था कि वह विपक्षी सुखलाल के पक्ष मे कोई पट्टा जारी करते। इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत ग्राम पंचायत सीमलवाडा की उस मिसल 1 जो दिनांक 13.9.2000 को दायर की गई तथा दिनांक 21.10.2000 को फैसल की गई का अवलोकन व अध्ययन किया गया। इस मिसल मे स्पष्ट रूप से पट्टे मे वर्णित सम्पत्ति के निर्माण को लेकर विपक्षी सुखलाल व निगरानीकर्ता व अन्य भाई नवनीत के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2000 पर स्वयं विपक्षी सुखलाल के हस्ताक्षर भी है तथा इस मिसल के साथ, ठीकाना खास से निगरानीकर्ता के पिता छगनलाल जी द्वारा वर्ष 1948 मे भूमि क्रय करने का परवाना भी है। मिसल के साथ जो नक्शे संलग्न है उसमे विपक्षी सुखलाल, निगरानीकर्ता सुरेश, अन्य भाई नवनीत का हिस्सा स्पष्ट दर्शाया हुआ है। जिसके आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 को जारी किया गया है उस भूमि का एक मात्र मालिक विपक्षी सुखलाल नही था एवम् प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात से यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक नियमों की पालना नही की गई है तथा पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एवम् न्याय उप.सा. नियम 1961 के अर्न्तगत जारी किया गया है जबकि पट्टा जारी करने की दिनांक वर्ष 2005 मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 अस्तित्व मे आ गए थे। जो स्पष्ट दर्शित करता है कि ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा विपक्षी सुखलाल को पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 को जारी करते समय विधिक नियमों की अवहेलना की है, तथा विपक्षी सुखलाल द्वारा भी पटटा जारी करवाते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है, जिन तथ्यों को वह जानता था तथा इसके पीछे विपक्षी का यही उद्देश्य रहा होगा कि वह अकेला सम्पूर्ण सम्पति का मालिक बन जाए और अपने अन्य भाईयों को सम्पत्ति से महरूम कर दें, पट्टा सं. 280 मे कहीं भी ग्राम पंचायत के संकल्प सं. का उल्लेख नहीं है, ना भूमि का मूल्य अंकित है। विपक्षी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधिकार पत्र धारी सनद कुमार द्वारा सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष विपक्षी सुखलाल का कब्जा होना माना है। गवाह सनद के बयान को देखे जाने पर उसके द्वारा इस बात से इंकार किया है कि पट्टे मे वर्णित संपत्ति पर सुखलाल का कब्जा हो बल्कि यह कथन किया गया है कि चार दुकाने है, दो दुकानों पर सुखलाल का, एक दुकान पर सुरेश का व एक दुकान पर नवनीत के परिवार का कब्जा है तथा इस बात की पुष्टि विपक्षी सुखलाल से की गई जिरह जो सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष दिनांक 16.8.2019 को हुई है, जिसमे उसके द्वारा स्पष्ट बंटवारा होना तथा प्रदर्श ए–9 के अनुसार कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

सुपुर्द किए जाने का कथन किया गया है। प्रदर्श ए–9 सिविल जज साहब सीमलवाडा के समक्ष प्रस्तुत वह दस्तावेज है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता व विपक्षी सुखलाल के पिता छगनलाल द्वारा अपनी संपत्ति को अपनी संतानों के मध्य बांटा गया था। ऐसी परिस्थिति मे उपरोक्त ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा जारी पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 जो विपक्षी सुखलाल के पक्ष मे जारी किया गया है, के बने रहने से विभिन्न विवादो का जन्म होगा तथा प्रथम दृष्टया उपरोक्त पट्टा ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा गलत रूप से विधिक नियमों की अवहेलना करते हुए ,आज्ञापक नियमों की अवहेलना करते हुए जिसमे प्रकिया संबधी त्रुटि भी स्पष्ट प्रतीत हो रही है तथा विधि एवम् तथ्यों की भी भूल की गई है, प्रमाणित व दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरी विनम्र राय में ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा विपक्षी के पक्ष मे जारी पट्टा विधि सम्मत नही है। इस पट्टे की कोई पत्रावली मिसल ग्राम पंचायत सीमलवाडा के पास उपलब्ध नही होना संदेह को और अधिक गहरा कर देती है। इन सब परिस्थितियों, तथ्यों, न्याय दृष्टांतों की रोशनी मे ग्राम पंचायत सीमलवाडा के उपरोक्त आदेश जो पट्टे पर मात्र दिनांक 20.7.2005 अंकित किया है को खारीज निरस्त किया जाना उचित पाता हूँ तथा ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा जारी पट्टा सं .280 दिनांक 21.7.2005 जो विपक्षी सुखलाल पिता छगनलाल पण्ड्या, निवासी सीमलवाडा के पक्ष मे जारी किया गया है को खारीज और निरस्त करता हूँ। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार को जाकर ग्राम पंचायत सीमलवाडा द्वारा जारी पट्टा सं. 280 दिनांक 21.7.2005 जो विपक्षी सुखलाल पिता छगनलाल जी पण्ड्या निवासी सीमलवाडा के पक्ष मे जारी किया गया है, को खारीज और निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सीमलवाडा को तहरीर जारी हो तथा ग्राम पंचायत सीमलवाडा से तलब पत्रावली मय इस निर्णय प्रति के प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:30:58 IST
Reason: SelfAttested